"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2016—माघ 30, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक ई-1-01/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2006), अपर कलेक्टर, सरगुजा को संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ करता है.

श्री नीलम नामदेव एक्का द्वारा संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री एस. भारतीदासन, (भा.प्र.से.-2006) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर केवल संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एस. एस. बजाज, (भा.व.से.-1988) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त-सह-सचिव, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री हिमांशु गुप्ता, (भा.पु.से.-1994), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण की सेवाएं गृह विभाग को वापस लौटायी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्रमांक बी-1-21/2014/4/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित तहसीलदारों को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर रुपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400 में पदोन्नति द्वारा नियुक्त करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सामने कॉलम (4) में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अतुल कुमार शेटे	तहसीलदार, रायगढ़	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बेमेतरा
2.	श्री सुखनंदन प्रसाद बंजारे	तहसीलदार, बिलासपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा
3.	श्री घनाराम महिलाने	तहसीलदार, कांकेर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-कांकेर

2. उपरोक्त पदोन्नति दो वर्ष की स्थानापन्नता अवधि के लिये होगी.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्रमांक-एफ 4-1/2015.—श्री सरजियस मिंज (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ के पद का कार्यभार, दिनांक 01-04-2011 को ग्रहण किया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 (1) के परन्तुक, के प्रावधानों के तहत दिनांक 15-03-2016 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे. इस प्रकार उक्त पद पर श्री मिंज का कार्यकाल 04 वर्ष, 11 माह, 15 दिवस का होगा, जो कि अधिनियम में उक्त पद के लिए निर्धारित पदावधि 05 वर्ष से 16 दिवस कम है. अतएव, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मिंज की पेंशन प्रयोजन हेतु अर्हकारी सेवा में 16 दिवस की उक्त अवधि को पूर्ण छः माही हेतु गणना के लिये मान्य करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपरोक्त के संबंध में वित्त विभाग की टीप कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2015-01-00775, दिनांक 22-12-2015 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एम. घोड़की, अवर सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-14/सात-1/2013.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित क्षेत्र के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन समक्ष प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत एवं नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

सरल क्रमांक (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्राधिकार (3)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत ग्राम किरन्दुल एवं मदाडी

No. F 7-14/REVENUE/SEVAN-1/2013.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (No. 7 of 2004), the State Government, hereby, authorizes and appoints the following officer as mentioned in column (2) of the Schedule below as Competent Authority under the said Act, for the area as mentioned in column (3) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Officer (2)	Jurisdiction (3)
1	Sub Divisional Officer (Revenue) Dantewada	Kirandul and Madadi villages under District Dantewada.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2016

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 201, दिनांक 27 मार्च, 2015 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, 27 मार्च, 2015 के हिन्दी पाठ में,—

1. पृष्ठ क्रमांक 402 (2) की पंक्ति 19 में "निजी" को "किसी" पढ़ा जाये.
2. पृष्ठ क्रमांक 402 (44) की पंक्ति 28 में "नियम" को "नियत" पढ़ा जाये.
3. पृष्ठ क्रमांक 402 (54) की पंक्ति 17 में "सम्मिलित है" के पश्चात् "के बगैर" पढ़ा जाए.

4. पृष्ठ क्रमांक 402 (61) की पंक्ति 8 में "अभियोजन" को विलोपित समझा जाये.

5. पृष्ठ क्रमांक 402 (67),—

(एक) पंक्ति 2 में "उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन" के पश्चात् "अनुज्ञापत्र का धारक उस भूमि के धरातल के अधिभोगी को ऐसा वार्षिक प्रतिकर, जो कि" पढ़ा जाये; और

(दो) पंक्ति 6 एवं 7 में "अनुज्ञापत्र का धारक उस भूमि के धरातल के अधिभोगी को ऐसा वार्षिक प्रतिकर, जो कि" को विलोपित समझा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 10-12/2015/16.—"छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27, सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 10-12/2015/16, दिनांक 30-09-2015 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित अधिकारियों को क्रमशः श्रम पदाधिकारी एवं उप श्रम पदाधिकारी नियुक्त करता है :—

अनु.क्र.	प्रथम अनुसूची	अनु. क्र.	द्वितीय अनुसूची
1.	श्री एस. एल. जांगड़े	1.	श्री व्ही. आर. पटेल
2.	श्रीमती सविता मिश्रा	2.	श्री बी. एस. वर्मा
3.	श्री सत्यप्रकाश वर्मा	3.	श्री रूबेन खेस्स
4.	श्री देवप्रकाश तिवारी	4.	श्री पी. के. बिचपुरिया
5.	श्रीमती अनिता गुप्ता	5.	श्री डी. के. राजपूत
6.	श्री उपेन्द्र कुमार मेश्राम	6.	श्री एस. के. सिंह
7.	श्री सूर्यभान सिंह पैकरा	7.	श्री जी. डी. प्रसाद
8.	श्री विकास सरोदे	8.	श्री आर. के. तम्हाने
9.	श्री भंवर सिंह बरिहा	9.	श्री अशोक चौरसिया
10.	श्री यू. के. कच्छप	10.	श्री किमजोर केरकट्टा
		11.	श्री के. के. सिंह

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

विषय :- "राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छ.ग." में, सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग को सदस्य के रूप में शामिल करने एवं समिति के सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव, जल संसाधन विभाग के स्थान पर विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, जल संसाधन विभाग को शामिल करने बाबत् ।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय का संकल्प क्र.-778/जसं/तशा/7/2001, रायपुर दिनांक 08-03-2001.

क्रमांक 6765/पी-7/जसं/तशा/औजप्र/14/डी-4.—विषयान्तर्गत संदर्भित शासन के संकल्प दिनांक 08-03-2001 द्वारा गठित, "राज्य

जल संसाधन उपयोग समिति, छ.ग.'' में सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है. इसके साथ ही, उक्त समिति में सदस्य सचिव के रूप में ''उप सचिव, जल संसाधन विभाग'' के स्थान पर ''विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, जल संसाधन विभाग'' को नामित किया जाता है. समिति के शेष सदस्य, संदर्भित गठनादेश अनुसार यथावत रहेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

विषय :- ''राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छ.ग.'' में, सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में शामिल करने बाबत् ।

संदर्भ :- 1. छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय का संकल्प क्र.-778/जसं/तशा/7/2001, रायपुर, दिनांक 08-03-2001.

2. छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय का संकल्प क्र.-6765/पी-7/जसं/तशा/औजप्र/14/डी-4, नया रायपुर, दिनांक 31-10-2014.

क्रमांक 306/पी-7/जसं/तशा/औजप्र/14/डी-4.—विषयान्तर्गत संदर्भ क्र.-1 अंतर्गत उल्लेखित शासन के संकल्प, दिनांक 08-03-2001 द्वारा गठित, ''राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छ.ग.'' में सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है. समिति के शेष सदस्य, संदर्भ क्र.-1 में उल्लेखित गठनादेश एवं उसके तारतम्य में संदर्भ क्र.-2 में उल्लेखित संकल्प के अनुसार यथावत रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. नारद, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सरगुजा (अम्बिकापुर)	सरगुजा	कु. आकांक्षा भारद्वाज, जेएमएफसी सरगुजा (अम्बिकापुर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 1 फरवरी 2016

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 15 उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) उपधारा (2) उपधारा (3) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बड़ादमाली प.ह.नं. 51	13.448	मुख्य निर्माण अभियंता, (शोध एवं विकास) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, पूणे.	भारत सरकार की रक्षा परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33/1	0.012
33/2	0.012
33/3	0.016

	(1)	(2)
	33/4	0.016
	35	0.049
	38	0.162
	39	0.036
योग	7	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निर्माणाधीन बसंतपुर बैराज के अंतर्गत डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

प्र. क्रमांक 11/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-देवरहा, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.685 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	374	0.162
	505	0.028
	506	0.032
	507	0.024
	553/3	0.016
	554	0.073
	553/1	0.016
	553/2	0.040
	557/1	0.040
	558/1	0.040
	558/2	0.025
	565/1	0.045
	568/2	0.032
	569/1	0.040
	570/2	0.024
	568/1	0.032
	566	0.016
योग	17	0.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निर्माणाधीन बसंतपुर बैराज के अंतर्गत डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्रमांक 29/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-कपिस्दा, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.277 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
829/2	0.016
829/3	0.008
830	0.028
831	0.101
832/3	0.036
832/1	0.008

	(1)	(2)
	833/2	0.040
	833/1	0.004
	834	0.028
	835	0.008
योग	10	0.277

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलकर्री बावनबुड़ी एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्रमांक 01/अ-82/2014-15—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-करगी कला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.453 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	925/1	0.045
	925/3	0.040
	925/2	0.020
	922	0.081
	923	0.057
	919/3	0.182
	932/2	0.024
	1126/3	0.065
	1120/1	0.024
	919/2	0.020
	919/1	0.040
	1002	0.178
	1000/1	0.040
	1000/2	0.053
	1007	0.142
	999/1	0.214
	1111	0.178
	1112/1	0.036
	1112/2	0.040
	1119	0.040
	1126/2	0.162
	1186	0.065
	1184/1	0.069
	1184/2	0.053
	1256	0.036
	1255	0.032
	1187	0.061
	1247/1	0.113
	1247/2	0.024
	1265/2	0.016
	1183/3	0.040
	1267	0.020
	1266/2	0.032
	1276/2	0.053
	1276/4	0.158
योग	35	2.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खपरी बीजा करगी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक 1547/04/अ-82/2014-15—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटघोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	481	0.061
	484	0.049
	526/2, 527/3	0.020
योग	3	0.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा-जुराली मार्ग पर अहिरन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-कालीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
759/1	0.093
178/2	0.045
865/3	0.036
901/3	0.170
345	0.053
935/1	0.121
473	0.105
304	0.052
742	0.081
343	0.028
481/2	0.210
354/1	0.057
347/2	0.061
339/3	0.020
946	0.149
745/2	0.028
175	0.049
795/1	0.101
864/2	0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
161	0.073	760	0.032
932/4	0.008	730	0.121
759/7	0.093	914	0.097
939	0.012	973/26	0.121
475	0.024	865/1	0.032
305	0.012	851/1	0.085
288	0.072	874/2	0.161
866	0.117	314	0.049
728	0.081	957	0.012
349/2	0.065	167	0.008
916	0.101	917/2	0.077
287	0.081	177/1	0.061
313	0.053	917/3	0.077
870	0.319	958/2	0.097
758/1	0.028	485	0.125
156/1	0.198	956/1	0.129
950	0.061	795/3	0.052
759/3	0.093	731	0.105
935/2	0.032	922	0.012
886/1	0.069	745/1	0.028
630	0.104	729/3	0.149
159	0.101	867	0.008
736	0.153	887	0.012
316	0.012	476	0.061
236	0.202	930/1	0.045
750	0.105	496/2	0.170
737/1	0.004	945/3	0.162
348	0.069	503	0.012
302	0.117	887	0.012
332	0.302	960	0.113
872	0.016	874/1	0.137
852/3	0.129	164/1	0.052
952	0.113	796	0.061
901/2	0.170	752	0.068
342	0.069	959	0.061
934	0.149	158/1	0.081
311/2	0.226	317/1	0.072
162	0.016	869	0.024
739	0.036	748	0.016
333	0.024	349/3	0.060
363/2	0.129	949	0.129
921	0.045	853/2	0.061
917/1	0.081	163	0.081
899/1	0.069	954	0.093
303	0.012	799/1	0.101
958/1	0.141	341/2	0.024
873	0.162	749	0.016

(1)	(2)
738	0.032
योग	9.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लैगू व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-असगवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.133 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/2	0.081
72	0.061
190/2	0.093
190/7	0.093
48/48	0.057
79	0.089
194/4	0.182
46/7	0.157
77	0.029
46/5	0.226
163	0.049
48/15	0.178
32	0.093
31	0.073
59	0.105
65	0.020
194/2	0.369
40	0.121
48/36	0.093
97	0.057
48/4	0.093
48/26	0.182
48/3 2क	0.225
84/1	0.016
98	0.101
194/13	0.093
48/25	0.049
48/43	0.364
46/4	0.081
194/7	0.093
48/12	0.061
35	0.182
157/7	0.061
48/40	0.050
173/3	0.226
194/8	0.230
48/47	0.101
61/2	0.073
60/3	0.081
46/6	0.069
78	0.028
41/1	0.182
157/11	0.182
48/2 9क	0.041
157/6	0.226
1/7	0.093
58	0.036
75	0.028
5/3	0.134
76/2	0.061
48/24	0.203
194/24	0.186
168	0.129
194/10	0.093
48/39क	0.061
194/12	0.206
1/10	0.093
157/36	0.162
76/1	0.032

(1)	(2)
30/3	0.417
194/2ख	0.162
194/30	0.611
46/1	0.457
194/22	0.553
73	0.093
48/32ख	0.137
5/2	0.093
157/37	0.457
194/20	0.203
193/1	0.021
48/52	0.579
157/3	0.093
48/22	0.100
48/2	0.138
194/26	0.093
6/2क	0.093
योग 76	11.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मछली व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-तेलाईधार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.860 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.097
10/1	0.048
8/2	0.016
10/4	0.020
152	0.012
32	0.321
31/2	0.032
36/2	0.161
43	0.045
51	0.445
1863	0.049
433	0.061
186/1	0.121
186/2	0.089
156	0.081
422/2	0.008
490/1	0.020
1086/1	0.008
1093/2	0.028
1028/2523	0.061
1045/2	0.061
1902/2	0.057
1002/1	0.128
3	0.137
8/1	0.048
10/2	0.081
9/2	0.069
529	0.012
198/5	0.101
30/1	0.045
36/3	0.081
49/1	0.008
423	0.061
129	0.234
524/1	0.008
205/1	0.072
144/1	0.121
150	0.113
493/2	0.008
490/2	0.028
1311	0.040
1087/1	0.137
1053	0.004
1056	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
1054/2	0.049	993/1	0.104
1460/1	0.081	998	0.072
1027	0.024	1299	0.061
567/1	0.121	1410	0.144
10/3	0.048	1415	0.044
1291/2	0.040	1292/1	0.264
978/1	0.161	1891	0.040
9/4	0.064	1325	0.024
36/1	0.012	1416	0.085
491	0.060	1463	0.038
49/2	0.121	1498	0.196
428	0.012	127/2	0.096
128/1	0.089	126/3	0.008
535/1	0.121	528/1	0.154
1478/1	0.004	568/2	0.072
144/2	0.101	992	0.040
148	0.012	1866	0.024
981/2	0.048	1447/2	0.012
492	0.008	1497/1	0.006
480/1	0.040	1865/1	0.024
1088/1	0.161	993/2	0.120
1413	0.074	1323	0.065
1321	0.081	1023/2	0.081
534	0.179	1314	0.020
1864	0.024	1000	0.040
1025/2	0.072	1461	0.081
568/1	0.072	1412/1	0.081
567/3	0.161	1889	0.032
7	0.024	1414/2	0.072
6/1	0.121	126/1	0.096
1291/4	0.040	979/1	0.128
45	0.146	561	0.109
1093/1	0.028	1473	0.057
549/2	0.028	1499/1	0.006
429	0.040	206/1	0.113
180/2	0.121	205/3	0.036
143/1	0.040	530/1	0.044
143/2	0.061	563/2	0.012
126/2	0.044	1419	0.064
1018	0.161	1468/3	0.032
980/2	0.028	1464	0.048
1093/1	0.048	1878/1	0.065
480/2	0.061	1886	0.243
1028	0.028	989	0.112
1088/2	0.081	1324	0.048
1054/1	0.049	1008	0.097
1024	0.097	1001	0.101

(1)	(2)
1409	0.240
1412/3	0.081
540	0.044
1500	0.072
560/1	0.206
1320	0.040
1477/1	0.065
1475	0.129
205/2	0.048
991/3	0.072
208/2	0.008
539/1	0.038
563/1	0.008
1420	0.016
1476	0.124
1874	0.077
1876	0.040
1890	0.032
1304/2	0.081
963	0.120
1007	0.072
योग	11.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-चिरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.435 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/2	0.081
50/2080	0.145
12/3	0.040
57/2106	0.049
57/2121	0.129
1/7	0.303
2079	0.093
50/2113	0.061
1/3	0.336
41/1	0.014
41/4	0.014
50/2081	0.041
57/2116	0.085
44/1	0.041
25/2128	0.153
4	0.149
57/2105/1	0.028
19	0.069
27/2110	0.053
3	0.085
12/2	0.038
12/4	0.038
57/2109	0.065
57/2117	0.024
57/2115	0.049
25/4	0.243
40	0.016
37	0.129
57/2104	0.065
42	0.105
18	0.073
41/5	0.014
57/2107	0.101
41/3	0.015
50/2083	0.020
43	0.093

(1)	(2)
57/2114	0.093
12/1	0.154
44/2	0.041
15/2	0.024
57/2108	0.028
12/5	0.038
योग 42	3.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लैगू व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-रजपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.625 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
258/1	0.140
774	0.340
407	0.129
255/1	0.178
782	0.182
403/2	0.404
408	0.470
420/1	0.158
777/1	0.488
475/3	0.242
597	0.030
902/1	0.101
905	0.263
912	0.219
885	0.097
240/1	0.063
241	0.069
247/5	0.162
257/1	0.020
783	0.198
406/2	1.011
411/6	0.742
791/1	0.514
446	0.437
476/1	0.194
861	0.101
902/2	0.101
906	0.368
618/2	0.040
900/1	0.077
253	0.934
242	0.316
247/6	0.397
248	0.186
205/2	0.279
406/3	1.231
419/3	0.254
792	0.591
475/1	0.202
945/2	0.348
862	0.004
243/2	0.354
907	0.049
632	0.077
904	0.360
422	1.336
794	0.360
247/7	0.405
778/2	0.356
257/2	0.178
405	0.009
411/1261	0.162
421/2	0.040
475/2	0.208
346	0.036

(1)	(2)
864	0.186
601/1	0.356
605	0.016
873	0.024
908/1	0.044
869	0.077
882/2	0.490
240/2	0.134
604/1	0.081
615/2	0.101
612	0.077
614/2	0.057
775	0.282
858/8	0.219
877	0.202
886	0.048
882/1	0.405
610	0.040
937/9	0.101
913	0.077
872	0.227
601/2	0.574
602	0.182
615/3	0.102
618/1	0.142
614/1	0.056
616	0.283
776/2	0.059
891/5	0.356
880	0.077
888/1	0.160
901	0.105
613/2	0.060
991/1	0.490
992/2	0.024
881	0.113
630/1	0.558
606	0.170
604/2	0.024
608	0.348
613/1	0.061
615/1	0.101
785	0.668
859	0.073
883	0.109
882/2	0.170
909	0.062
911/1	0.048
991/2	0.040
योग 104	24.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रजपुरी जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-महेशपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.527 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1480	0.008
1484/2	0.040
1487	0.129
1501	0.008
1515/2	0.032
1478	0.145
1514	0.024
1482	0.085
1483	0.085
1498	0.145
1509/1	0.202

	(1)	(2)
	1516/1	0.081
	1486	0.073
	1484/1	0.131
	1485	0.045
	1499	0.032
	1510	0.161
	1516/2	0.040
	1500	0.061
योग	19	1.527

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	268	0.03
	759	0.02
	757/1	0.01
	269	0.01
	270	0.01
	271	0.01
	272	0.01
	275	0.02
	763	0.01
	764	0.01
	765	0.01
	766	0.01
	767	0.02
योग	13	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैंसबोड-खपरी मार्ग के खपरी नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-जरवायडीह, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	600/2	0.30
	602	0.05
	603	0.01
योग	3	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खपरी-भैंसबोड़ सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-सिलघट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387	0.24
694	0.51
384	0.15
383	0.03
382	0.12
375	0.15
381	0.25
411	0.02
415	0.16
414	0.09
422/1	0.10
422/2	0.34
449	0.14
450	0.21
451	0.10
696	0.20
695	0.14
702	0.02
703	0.06
782	0.21
779/1	0.05
779/2	0.15
780	0.19
781/1	0.01
781/2	0.07
826	0.15
827	0.09
828	0.12
1165	0.02
831	0.13
832	0.13
836	0.16
835	0.17
754	0.11
753	0.03
864/1	0.19
864/2	0.01
864/3	0.02
865	0.25
858/1	0.13
858/2-3	0.08
858/4	0.06
857	0.02
855	0.10
856	0.10
854	0.02
852	0.01
851	0.16
853/1	0.17

	(1)	(2)
	1143	0.16
	1166	0.20
	1167	0.12
	1169	0.28
योग	53	6.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भखारा-सुपेला-सिलघट मार्ग का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2015

नस्ती क्रमांक/017 [55 (बी)]/शैक्ष.-1/2015/2899.—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 26 में विहित प्रावधानानुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के महानिदेशक द्वारा डॉ. के. आर. क्रान्थि, निदेशक, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फार कॉटन रिसर्च, पोस्ट बॉक्स सं. 2, शंकर नगर, नागपुर 440010 एवं विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, बरौंडा, रायपुर 493225 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रबंध मंडल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है.

उपरोक्त नामनिर्दिष्ट अधिसूचना जारी होने के दिनांक से आगामी तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगा.

कुलपति के आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, कुल सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पुराना नर्सेस हास्टल, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्रमांक/1332/स्था-3/अ.स.आ./2015-16.—छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ-19-12/2015/25-2 दिनांक 18-01-2015 के तहत माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह केम्बो, बी.एस.बी.के. हाउस के सामने नंदनी रोड, पावर हाउस, भिलाई जिला-दुर्ग को छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ-3-14/2015/1/एक रायपुर दिनांक 22-01-2016 द्वारा माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह केम्बो अध्यक्ष, महोदय को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पदभार दिनांक 21-01-2016 को ग्रहण कर लिये हैं.

एम. आर. खान,
सचिव.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक 1842/फर.व.भू./नग्रानि/2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में फरसगांव निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1449/ फर.वि.यो./नग्रानि/2015 जगदलपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015 द्वारा किया गया था.

अब एतद्‌द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन फरसगांव निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से दिनांक 30-11-2015 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

फरसगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मांझीआठगांव, चिचाड़ी एवं बानगांव की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बानगांव, कोटबेल एवं बरकई ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बरकई, पान्डेआठगांव, गट्टीपलना एवं कोर्राबडगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कोर्राबडगांव, पतोडा एवं मांझीआठगांव ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत भवन फरसगांव (प्रथम तल).

No. 1842/PH.E.L./T&CP/2015.—The existing land use map and register for the Farasgaon Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 144/T.C.P./2015 Jagdalpur, dated 28 September 2015.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map and register of Farasgaon Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 30-11-2015.

SCHEDULE

Limites of Farasgaon Planning Area

NORTH	:	Village Manjhiaathgaon, Chichadi & upto the northern limit of village Bangaon.
EAST	:	Village Bangaon, Kotbel & upto the eastern limit of villae barkai.
SOUTH	:	Village Barkai, Pandeyathgaon, Gattipalna & upto the southern limit of village Korrabadgaon.
WEST	:	Village Karrabadgaon, Patoda & upto the western limit of village Manjhiaathgaon.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Nagar Panchayat Bhavan First Floor, Farasgaon.

डी. के. बघेल,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्रमांक 1980/नग्रानि/कबीरधाम/स्ट्र. प्लान स.लोहारा/2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में स. लोहारा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 9 ग्रामों के लिए वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1202 दिनांक 19-06-2015 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि आयुक्त सह. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट स. लोहारा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 9 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से दिनांक 23-12-2015 को अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

स. लोहारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम-पीपरटोला छोटे, छोटूपारा, स. लोहारा एवं ग्राम-बांधाटोला की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम-बांधाटोला, स. लोहारा, भीमपुरी एवं ग्राम-बाम्हन टोला की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम-बाम्हनटोला, लखनपुर एवं ग्राम-बासीनझोरी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम-बासीनझोरी, बानो एवं पीपरटोला छोटे की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

No. 1980/ELU./TCP/2015.—The existing land use map for the S. Lohara Planning Area of 9 villages have been included for which the existing land use maps and register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 1202 Date 19-06-2015 of S. Lohara.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use maps and register of S. Lohara Planning Area of 9 villages have been included for which the existing land use maps and register so prepared and published are duly adopted by the Commssioner Cum. Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section 3 of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt.23-12-2015.

SCHEDULE

S. Lohara Planning Area Limits

NORTH : Village-Pipartolachhote, Village-Chhotupara, Village Sahaspur Lohara & upto Northern limit of Village-Bandhatola.
EAST : Village-Bandhatola, Village-Sahaspur Lohara, Village-Bheempuri & upto Eastern limit of Village-Bamhantola.
SOUTH : Village-Bamhantola, Village-Lakhanpur & upto Southern limit of Village-Basinjhori.
WEST : Village-Basinjhori, Village-Bano & upto Western limit of Village-Pipartolachhote.

The said adopted maps and register shall be available for inspections of General Public at following place during office hours for period of from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Asst. Director, Town & Country Planning Kawardha, Distt.-Kabirdham (C.G.)

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 2nd February 2016

No. 29/Confdl./2016/II-1-2/2014.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/02/2015-US.II (iii) dated 07th December 2015 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Inder Singh Uboweja and Hon'ble Shri Justice Chandra Bhushan Bajpai have assumed charge of the office of the Additional Judge of High Court of Chhattisgarh on 27th January 2016 in the forenoon.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक 42/दो-2-3/2000.—श्रीमति अनुराधा खरे, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-01-2016 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.